<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>04.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 03/12/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जो मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कुणाल गुप्ता और उनके सहयोगी पवन जायसवाल से जुड़ी 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति के संबंध में है, जो एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाते थे। कुर्क की गई संपत्तियों में केजी स्टड फार्म एलएलपी के 37 घोड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 398.5 लाख रुपये है और कोलकाता के बागुईआटी में ग्रीनलीफ कॉम्प्लेक्स में 1.08 करोड़ रुपये के फ्लैट हैं।

ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बिधाननगर द्वारा मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में कुणाल गुप्ता द्वारा नियंत्रित धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों के एक गठजोड़ (नेक्सस) का पता चला, जो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में पीड़ितों को निशाना बनाते थे। इन केंद्रों ने झूठे तकनीकी सहायता, नकली ऐप के माध्यम से नकली ऋण और धोखाधड़ी वाले व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से व्यक्तियों को धोखा दिया। केजी स्टड फार्म एलएलपी और जीडी इन्फोटेक सहित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) की लेयरिंग और लौन्ड्रिंग की गई थी, जिससे उनके अवैध स्रोत छिप गए।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि केजी स्टड फार्म एलएलपी का उपयोग धन शोधन के लिए एक साधन के रूप में किया गया था, जिसमें पीओसी का उपयोग घोड़ों की खरीद, रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए किया गया था। इन घोड़ों से उत्पन्न रेस में जीत की राशि, जो स्वयं आपराधिक आय से जुड़ी हुई थी, को फिर से निवेश किया गया, जिससे शोधन (लौन्ड्रिंग) का चक्र चलता रहा। जब्त किए गए 37 घोड़े भारत में रेस क्लबों और राइडिंग स्कूलों में तैनात हैं।

कुणाल गुप्ता के एक प्रमुख सहयोगी पवन जायसवाल ने ग्रीनलीफ कॉम्प्लेक्स में संपत्तियां हासिल करने के लिए जीडी इन्फोटेक के माध्यम से पीओसी का उपयोग किया। जांच में अधिग्रहण से जुड़े अस्पष्ट नकद जमा और वित्तीय लेन-देन का पता चला, जिसमें तीन फ्लैटों को मिलाकर 1.08 करोड़ रुपये की एक संपत्ति बनाई गई। इन लेन-देन में आय के वैध स्रोतों की कमी पाई गई, जिससे संपत्ति सीधे पीओसी से जुड़ गई।

इससे पहले, ईडी ने 07/11/2023 को 67.23 करोड़ रुपये और 10/07/2024 को 85 लाख रुपये की संपत्ति के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए थे, जो कुणाल गुप्ता, मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उनके सहयोगियों से संबंधित थे। कुणाल गुप्ता और पवन जायसवाल के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में की गई तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और नकदी मिली।

यह अनंतिम कुर्की आदेश पोओसी के अपव्यय को रोकता है और पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भविष्य में जब्ती के लिए संपत्ति को सुरक्षित रखता है।

आगे की जांच जारी है।